सं0-15/2016/485/35-1-2016-2/1(86)/2014

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
योजना भवन, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: **13** जून, 2016

विषय: उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के संचालन तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के संचालनार्थ बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदो/फलों आदि के कृषिकरण के अनुक्रम में कृषि, वानिकी, औद्यानिकी तथा पशु चारागाह हेतु अनुपयुक्त भूमि का उपयोग करते हुये जैव ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम जिसमें औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदों/फलों के कृषिकरण, मिशन बायोडीजल, मिशन बायो एथेनाल, मिशन बायो गैस तथा मिशन प्रोड्यूसर गैस के क्रियान्वयन आदि के सम्बन्ध में ''राज्य जैव ऊर्जा नीति 2014'' शासनादेश सं0 1569/35-1-2014-2/1(86)/2014, दिनांक 14.11.2014 द्वारा निर्गत की गयी है। तत्क्रम में उक्त नीति से आच्छादित योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी/सुचारू रूप से/समयवद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय निर्णय के उपरान्त नियोजन विभाग के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ''उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड'' का गठन, कार्यालय ज्ञाप संख्या- 40/2015/1261/35-1-2015-2/1(86)/2014 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा किया गया है।

उक्त शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप के क्रम में सोसाइटी पंजीयन 1860 के अन्तर्गत बोर्ड का पंजीयन सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार कार्यालय सोसाइटी चिट्स फण्ड्स फर्मस, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में हो चुका है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा राज्य समन्वयक/मुख्य परिचालन अधिकारी, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के पद नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. प्रश्नगत बचत खाता वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-122/ दस-2012-10 (33)/2010, दिनांक 21.03.2012, शासनादेश सं0 10/2015-ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 20.05.2015, शासनादेश सं0-14/2015-ए-1-879/दस-2015-10 (33)/2010, दिनांक 23.09.2015 एवं शासनादेश संख्या-03/2016-ए-1-170/दस-2016-10(33)/2010, दिनांक 23.02.2016 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।
2. प्रश्नगत खाता बचत खाता होगा, जिसे उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के नाम से खोला जायेगा।

3. बैंक खाते का संचालन बोर्ड में तैनात राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक तथा नियोजन विभाग के वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
4. बैंक खाते को योजनावधि तक चालू रखा जायेगा। योजना समाप्त होने पर खाते को नियमानुसार बन्द कर दिया जायेगा।
5. खाते के संचालन एवं रख रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित पालन किया जायेगा।
6. उक्त खाते का उपयोग उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-5-513/दस-2016, दिनांक 07 जून, 2016 में प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या-15/2016/485(1)/35-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, (बायो फ्यूल), नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/परियोजना निदेशक, संयुक्त परियोजना निदेशक/राज्य समन्वयक/मुख्य परिचालन अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राम रेखा पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।